न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :— श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0— 21 / 2022
अनवान :—

1. रणजीत पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर ।

सायल

बनाम्

1. हरदवारी पुत्र चानणराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

—गेर सायलान

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :— श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 14/07/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की सायल की रोही मोजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 74 / 77 की कुल 2.2770हैक्ट बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 155 / 155 की कुल 2.2770हैक्ट गैरसायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल अपने गांव परलीका से चलकर स्वीकृत शुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायल के कब्जा काश्त की भूमि रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 155 / 155 के प0न0 353 / 436(76) के किला न0 21 मिन पश्चिम की 0.0130हैक्ट व किला न0 22 के मिन दक्षिण की 0.0130हैक्ट में से होते हुए अपने खेत रोही मौजा चक 17 एनटीअसार के खाता संख्या 74 / 77 के प0न0 353 / 436(76) के किला न0 23 में प्रवेश करते है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक रास्ता है।

सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गैरसायल के रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 155 / 155 के प0न0 353 / 436(76) के किला न0 21 मिन पश्चिम की 0.0130हैक्ट व किला न0 22 के मिन दक्षिण की 0.0130हैक्ट के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये यही सुविधाजनक रास्ता है।

सायलान ने गैरसायलान को रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 155 / 155 के प0न0 353 / 436(76) के किला न0 21 मिन पश्चिम की 0.0130हैक्ट व किला न0 22 के मिन दक्षिण की 0.0130हैक्ट रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु कई दफा कहा किन्तु कुछ दिनो तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 155 / 155 के प0न0 353 / 436(76) के किला न0 21 मिन पश्चिम की 0.0130हैक्ट व किला न0 22 के मिन दक्षिण की 0.0130हैक्ट रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गैरसायल की भूमि में से रास्ता स्वीकार किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायलान एवं गैरसायलान की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता गैरसायल संख्या 1 देने को तेयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाने एवं रास्ते के बदले में भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के खेत पडोसी है सायलान अपने खेत मे जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायलान के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायलान को उसके कब्जा काश्त की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायलान एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायलान एवं गैरसायल 1 की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 155/155 के म०न० 353/436(76) के किला न0 21/2 मिन पश्चिम की 0.0130हैक्ट व किला न0 22 के मिन दक्षिण की 0.0130हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सायल गैरसायल को म०न० 353/436 के किला न0 18 मिन पश्चिम की 0.013हैक्ट व किलास न0 23 मिन पश्चिम की 0.013हैक्ट दक्षिण पश्चिम कोना की दस गुणा दस फुट भूमि का छोडकर भूमि देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / रास्ता / 2022 / 2355 दिनांक 14/07/2022

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध मे प्रार्थना–पत्र सं0 21 सन 2022 निर्णय दिनांक -14/7/2022

अनवान :-

अनवान :-

1. रणजीत पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर ।

सायल

बनाम

1 हरदवारी पुत्र चानणराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गैर सायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 155 / 155 के प0न0 353 / 436(76) के किला न0 21 / 2 मिन पश्चिम की 0.0130हैक्ट व किला न0 22 के मिन दक्षिण की 0.0130हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सायल गैरसायल को प0न0 353 / 436 के किला न0 18 मिन पश्चिम की 0.013हैक्ट व किलास न0 23 मिन पश्चिम की 0.013हैक्ट दक्षिण पश्चिम कोना की दस गुणा दस फुट भूमि का छोडकर भूमि देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन कियो जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner